

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4735

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियां

4735. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को आयुष औषधियों में धातु की उच्च मात्रा के बारे में जानकारी है, जिस पर प्रमुख रूप में प्रकाश डाला गया है तथा जो उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को बढ़ाने तथा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए मौजूदा कार्य क्या हैं; और
- (ग) सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रभावी सुरक्षा के लिए विपणन के बाद निगरानी को लागू करने तथा आयुष औषधि मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की किस प्रकार योजना बना रही है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष औषधियों में उच्च धातु सामग्री का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को बढ़ाने और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करने का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के पास निहित है। औषधि नियम, 1945 का नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधान हैं और औषधि नियम, 1945 के नियम 85 (क से झ) में होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों का प्रावधान है। निर्माताओं के लिए विनिर्माण इकाइयों और दवाओं के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता का प्रमाण, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी दवाओं और होम्योपैथी दवाओं के लिए क्रमशः औषधि नियम, 1945 की अनुसूची न और अनुसूची ड-1 के अनुसार अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का अनुपालन और संबंधित फार्माकोपिया में दी गई दवाओं के गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

2. औषधि निरीक्षक नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में विनिर्माण फर्मों या विक्री दुकानों से दवा के नमूने एकत्र करते हैं और गुणवत्ता परीक्षण के लिए इसे औषधि नियंत्रण विभाग के तहत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं और यदि कोई नमूना मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई शुरू की जाती है जैसे कि बाजार में उत्पादों की विक्री रोकना तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करना।

(ग): केंद्रीय क्षेत्र की योजना - आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों को एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 99

परिधीय भेषजसरक्ता केंद्रों (पीपीवीसी) के तीन-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

अनिवार्य नियामक मानकों को निर्धारित करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएंडएच) औषधियों के फार्माकोपिया और फॉर्मूलेशन में शामिल गुणवत्ता मापदंडों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन/विश्व भर में प्रचलित अन्य प्रमुख फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया जा सके।

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, औषधि उत्पाद का प्रमाणन (सीओपीपी) प्रदान करता है, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना - आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के घटक के तहत, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)- अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) मानकों के अनुरूप उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) फार्मेसियों के उन्नयन के लिए समर्थन देती है।
